"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 जुलाई 2010—श्रावण 4, शक 1932

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-04/दो-गृह/रापुसे/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा में आरक्षक (बैण्ड) की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ पुलिस/सशस्त्र कार्यपालक बल आरक्षक (बैण्ड) भर्ती नियम, 2010 कहलाएंगे.

   (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

   (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, पुलिस अधीक्षक/सेनानी छ.स. बल;

   (ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम-12 के अधीन भर्ती के लिये ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा;

   (ग) "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है, शारीरिक मापतौल;

(घ) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है, ट्रेड टेस्ट;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84 दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों का अन्य पिछड़ा वर्ग;

(झ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, तृतीय वर्ग कार्यपालक के अंतर्गत आने वाले कार्यपालक पुलिस/सशस्त्र बल हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षक (बैण्ड);

(ट) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल ;

(ठ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने पर आरक्षक पद को मूलत: या अस्थाई हैसियत में धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा.

परंतु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर स्थायी या अस्थायी तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. **चयन समिति.**—

(1) नियम 7 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन की जाने वाली सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए चयन समिति का गठन पुलिस उप महानिरीक्षक, छ. स. बल द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा :—

(1) संबंधित छ. स. बल की पुलिस इकाई के सेनानी - अध्यक्ष

(2) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप सेनानी से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी - सदस्य

(3) उप पुलिस अधीक्षक/सहायक सेनानी से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी - सदस्य

परन्तु उपर्युक्त दो सदस्यों में से एक सदस्य छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का तथा दूसरा सदस्य किसी अन्य जिले के पुलिस बल में पदस्थ अधिकारी होगा. जिला पुलिस बल के अधिकारी का नामांकन रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक के परामर्श से किया जाएगा.

परन्तु यह और कि चयन समिति का कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य होगा. जिला पुलिस बल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की अनुपलब्धता की दशा में, किसी अन्य इकाई से समकक्ष अधिकारी अथवा निरीक्षक स्तर के अधिकारी को रखा जा सकेगा.

(2) **उप-समितियां.**—शारीरिक नाप तौल तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा एवं नापजोख रिकार्ड करने के लिये समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार उप समितियां बनाई जा सकेगी. जिसके कुछ सदस्य छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल से और कुछ सदस्य जिला पुलिस बल से लिए जाएंगे. प्रदर्शन/मूल्यांकन के रिकार्ड संधारण की प्रमाणिकता के लिये इस समिति के सदस्य उत्तरदायी होंगे तथा इस पर वे हस्ताक्षर करेंगे. चयन समिति उपयुक्त आवश्यक मामलों में पुन: नापजोख करने के लिए स्वतंत्र होगी.

(3) परंतु पुलिस महानिदेशक सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उपर्युक्त चयन समिति से भिन्न चयन समिति भी गठित कर सकेगा.

7. **भर्ती का तरीका.**—

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित पद्धति द्वारा की जायेगी, अर्थात्:—

(क) चयन समिति के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती करके;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों, मूल हैसियत में धारण करते हों.

(2) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके, तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समिति/शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(3) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा हेतु उक्त उप-नियम में उल्लिखित तरीकों से भिन्न भर्ती के ऐसे विनिर्दिष्ट तरीके अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे.

(4) चयन प्रक्रिया के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा के लिये शासन/संबंधित सेनानी के द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप में, आवेदन भरते समय अभ्यर्थी को इच्छुक विशिष्ट पद का उल्लेख करना चाहिए.

(5) आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के प्रारूप में गलत जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना निरर्हता मानी जाएगी. ऐसा कृत्य करने पर, अभ्यर्थी को सरकार के अधीन नियुक्ति या सेवा में निरन्तर बने रहने का अधिकार नहीं होगा तथा परिणामत: उसकी सेवा तत्काल, बिना किसी सूचना के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जाएगी.

(6) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात् :—

(एक) **आवेदन पत्रों की छानबीन** :— आवेदनों की छानबीन पर समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी प्रथम चरण के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे. आवेदन प्रपत्रों की प्राप्ति के बाद यथासंभव समस्त प्रक्रिया कम्प्यूटराईज्ड होगी.

(दो) **शारीरिक माप का मान** :— प्रथम चरण के अन्तर्गत आवेदनों एवं दस्तावेजों की छानबीन उपरान्त, उनके सही पाये जाने तथा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का शारीरिक नापजोख कॉलम 9 (5) के (क) से (घ) के अनुसार (आंखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर) किया जाएगा तथा आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी प्रवेश पत्र केवल शारीरिक नापजोख की जांच में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा, जिसे अनिवार्यत: अपनाया जाएगा, जो संलग्न है.

(तीन) **ट्रेड टेस्ट:**— ट्रेड टेस्ट में उपस्थित होने हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों में से समस्त शारीरिक पैरामीटर में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को म्यूजिक नोटेशन के आधार पर विविध वाद्ययन्त्र बजाने संबंधी ट्रेड टेस्ट देना होगा, जो 100

अंकों का होगा. ट्रेड टेस्ट में सफल होने के लिए सामान्य जाति के अभ्यर्थियों को कम से कम 50 प्रतिशत किन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा.

(चार) **15 किलोमीटर की दौड़/चाल :—** ट्रेड टेस्ट के पश्चात्, मेरिट लिस्ट जाति/वर्ग के अनुसार तैयार की जाएगी, इसमें विज्ञापित पदों की संख्या के पांच गुना अभ्यर्थियों को 15 किलोमीटर की दौड़/चाल में भाग लेना होगा. एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थी जांच के लिए पात्र होंगे भले ही यह विज्ञापित पदों के पांच गुने की सीमा से अधिक हो. अभ्यर्थियों को 15 किलोमीटर की दौड़/चाल को दो घण्टे में पूर्ण करना होगा, तभी वे अर्ह माने जाएंगे.

(पांच) **बोनस अंक :—** नीचे उल्लिखित शीर्ष के अधीन विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 05 अंक निर्धारित है, किन्तु विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं होने चाहिए अर्थात् दो से अधिक विशेष योग्यता होने पर भी बोनस अंक केवल 10 ही देय होंगे:.

(क) शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था से कम्प्यूटर पाठ्यक्रम की डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र.

(ख) खेलकूद (राष्ट्रीय स्तर) में प्रवीणता (राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस संबंधित खेल में अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, उसमें से केवल विजेता खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी.)

(ग) एन. सी. सी. "सी" प्रमाण-पत्रधारी.

(छः) **चयन सूचियां :—** कुल पूर्णांक 200 अंकों के होंगे तथा बोनस के 10 अंक की गणना पृथक से की जाएगी. शारीरिक प्रवीणता टेस्ट-100 अंक, ट्रेड टेस्ट-100 तथा बोनस अंक-10 (केवल पात्रतानुसार) के आधार पर विज्ञापित पदों के लिए पृथक-पृथक चयन सूची तैयार की जाएगी. ट्रेड टेस्ट, शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एवं बोनस अंकों में प्राप्तांकों के कुल योग के आधार पर मेरिट क्रम में सूची बनाई जाएगी. सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची बनाई जाएगी. इस सूची में आरक्षित वर्ग (अजा/अजजा/अपिवर्ग) के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, जो मेरिट के आधार पर इसमें स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों की सभी योग्यता भी पूरी करते हैं. शेष अभ्यर्थियों में से अजा, अजजा तथा अपिवर्ग के अभ्यर्थियों की उनके अपने-अपने जाति वर्ग के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये पृथक-पृथक सूचियां तैयार की जाएंगी.

इस सूची के तैयार होने के बाद होमगार्ड के लिए समेकित आरक्षण एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए खण्डवाईज आरक्षण को प्रभावी करना होगा. यदि उपरोक्त सूचियों में पहले ही कुल 25 प्रतिशत होमगार्ड अभ्यर्थी नहीं है, तो परीक्षा में शामिल सभी होमगार्ड की सूची मेरिट क्रम में बनाई जाएगी तथा मेरिट क्रम में 25 प्रतिशत के मान से नाम पृथक किए जाएंगे और फिर इनमें से केवल उतने अभ्यर्थियों को पूर्व में संदर्भित अनारक्षित पदों एवं आरक्षित पदों की सूचियों में स्थापित किया जाएगा, जितने कि 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए आवश्यक हों. केवल तीन वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही, नगर सेना कोटे में आरक्षण की पात्रता होगी. इसकी प्रतिस्थापना प्रक्रिया में अनारक्षित तथा आरक्षित सूचियों में मेरिट में नीचे क्रम के गैर होमगार्ड अभ्यर्थी इन सूचियों से स्वतः बाहर हो जाएंगे. भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत सीधा आरक्षण है किन्तु भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण श्रेणीवार हो जाने से इनकी मेरिट सूची जाति वर्गवार तैयार की जाएगी और 10 प्रतिशत की संख्या की गणना भी जाति वर्गवार ही होगी. प्रतिस्थापना की प्रक्रिया भी केवल उसी वर्ग में होगी, जिसमें 10 प्रतिशत की संख्या पूरी नहीं होती है. होमगार्ड एवं भूतपूर्व सैनिकों के वर्ग में योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में कोई भी पद अगले वर्ष के लिये अग्रेषित नहीं होंगे, बल्कि ये पद अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे.

(सात) **चयन सूची का अनुमोदन :—** परीक्षा उपरान्त चयन सूची तत्काल ही तैयार की जाकर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार समस्त आवश्यक रिकार्ड के साथ रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक/छ. स. बल को अनुमोदन हेतु भेजी जाएगी. रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक/छ. स. बल पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार ही प्रथम दृष्टया सूची का परीक्षण कर अनुमोदन आदेश जारी करेंगे. रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक/

छ. स. बल किसी मामले में चयन सूची के अनुमोदन के समय परीक्षण करेंगे कि—

(अ) क्या भर्ती नियमानुसार की गई है ?

(ब) क्या भर्ती में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है ?

(स) भर्ती के दौरान कोई गंभीर अनियमितता या ऐसी शिकायत तो सामने नहीं आई है, जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होती हो ?

(द) कोई अन्य स्वस्पष्ट चूक या त्रुटि या लापरवाही तो परिलक्षित नहीं हो रही है ?

यदि रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक/छ. स. बल उपरोक्तानुसार त्रुटि पाते हैं तथा चयन सूची में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी सूची उप पुलिस महानिरीक्षक/छ. स. बल, सूची में परिवर्तन नहीं करने का कारण स्पष्ट करते हुए पुलिस महानिरीक्षक/छ. स. बल को समस्त प्रमाणलेखों के साथ प्रेषित करेंगे, जिन्हें उस पर औचित्य एवं विचार के अनुसार अंतिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकार होगा. चयन आदेश की प्रति पुलिस मुख्यालय को भी पृष्ठांकित की जाएगी. किसी अंक गणितीय चूक के आधार पर भर्ती तब तक निरस्त नहीं की जाएगी जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए कि इसके कारण अभ्यर्थी के चयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. संदिग्ध या अप्रमाणित शिकायतों अथवा सामान्य जनचर्चा के आधार पर भर्ती निरस्त नहीं की जा सकेगी.

चयन सूची या तो पूरी तरह अनुमोदित की जाएगी अथवा पूरी तरह निरस्त की जाएगी. रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक/छ. स. बल पुनर्मूल्यांकन अथवा पुन: परीक्षा का आदेश नहीं दे सकेंगे. अनुमोदन के पूर्व रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक/छ. स. बल सभी आवश्यक रिकार्ड एवं प्रारंभिक कार्य की परीनिरीक्षण हेतु मांग कर सकेंगे.

8. **सेवा में नियुक्ति.**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में यथाविनिर्दिष्ट भर्ती की किसी प्रक्रिया द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएंगी अन्यथा नहीं. नियुक्ति आदेश, चयन सूची में वरिष्ठता के क्रम में जारी किए जाएंगे. नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण संचालित/पूर्ण कराया जाएगा. चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप न होने और निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर संबंधित इकाईयों में आमद देने का आदेश दिया जाएगा.

(2) विज्ञापन में पृथक-पृथक पदों का विभाजन स्पष्ट कर देना चाहिए जिसमें प्रत्यक्ष चयन/प्रवेश के लिए भर्ती, आरक्षण रोस्टर के अनुसार होगी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के पालन के साथ-साथ राज्य स्तरीय चयन, में आरक्षण रोस्टर का अनुवर्तन किया जाएगा. इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन किया जाएगा.

(क) भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासकीय सेवा संबंधी आदेशों का पालन किया जाएगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासन, गृह पुलिस विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ-13-9/दो-गृह/2005, दिनांक 16-1-2007 के अधीन स्वयंसेवी नगरसैनिकों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है, जिसका पालन किया जाएगा.

(ग) यह ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य जाति किसी वर्ग में नहीं आती. यह खुली प्रतियोगिता का वर्ग है और सभी अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर इसमें स्थान प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं, भले ही उनकी अपनी जाति वर्ग का आरक्षण क्यों न हो.

9. **सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें.**—परीक्षा में प्रतियोगिता करने हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(1) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक/स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी रोजगार कार्यालय में सतत/प्रचलित जीवित पंजीयन होना आवश्यक है.

(2) अभ्यथी जिसकी दो जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(3) अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिए.

(4) आरक्षक (बैण्ड) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए केवल पुरुष आवेदक ही पात्र होंगे.

(5) आयु—

(क) परीक्षा के प्रारंभ होने की तारीख के आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को उसने अनुसूची-दो के कॉलम (6) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो आयु अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों की जो छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी हों, अथवा छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, उच्चतर आयु सीमा उस सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी :—

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो स्थाई पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा है, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी" से अभिप्रेत है-ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किन्ही भी संघटक इकाई की अस्थाई सरकारी सेवा में निरंतर कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(घ) ऐसा अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— पद "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है- ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छ: मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने की अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप, या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई है या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भर्ती किये गये हों, और जिन्हें :—

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी,

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं) जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों,

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो,

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अविधिमान्यता के कारण सेवा से अलग किया गया हो,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं,

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(च) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) खेल नीति के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी परिपत्र के प्रावधान लागू रहेंगे.

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हों, अधिकतम आयु सीमा को 36 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा. (शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान तथा महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता युवा अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक के लिए शिथिलनीय होगी.)

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमीशंड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान-कमीशंड अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित सामान्य अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी अर्थात् उस नगर सैनिक/नान-कमीशंड अधिकारी को जिसने एक वर्ष की नगरसेना सेवा पूर्ण की हो उसे आवश्यकतानुसार सामान्य अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की, जिसने दो वर्ष की नगरसेना सेवा पूर्ण की हो उसे दो वर्ष की एवं ऐसे ही आगे के पूर्ण सेवा वर्षों के बराबर की छूट दी जाए.

(ञ) विभाग द्वारा समय-समय पर आयु में छूट संबंधी जारी परिपत्र के प्रावधान लागू होंगे.

**टिप्पणी** - (1) उपर्युक्त खण्ड (ग) के उप खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को चयन के लिए सम्मिलित किया गया है, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दे दें तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् इनकी सेवा या पद से छटनी की जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

(2) किसी भी अन्य ममाले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएगी. विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपसंजात होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी.

(3) शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारियों अथवा भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरणों में अनुशासन के आधार पर सेवा से हटाए गए या चिकित्सीय आधार पर अनर्ह, सेवारत अथवा भूतपूर्व कर्मचारी इस सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे.

**स्पष्टीकरण :—** शासन के मानदेय पर या संविदा पर कार्य करने वाले अन्य स्वयंसेवियों या कर्मचारियों या शिक्षाकर्मी या पंचायत कर्मी इत्यादि को उच्चतर आयु सीमा में छूट की सुविधा प्राप्त नहीं होगी.

(6) **शारीरिक अर्हता.**— अभ्यर्थी के पास निम्नानुसार न्यूनतम शारीरिक अर्हता होनी आवश्यक होगी :—

(क) **ऊंचाई :—** 168 सेंटीमीटर (सामान्य जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)
165 सेंटीमीटर (मराठा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति)
158 सेंटीमीटर (गोरखा, गढ़वाली और कुमाउ)
153 सेंटीमीटर या अधिक (दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर राजस्व जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए)
158 सेंटीमीटर या उससे अधिक (शेष राजस्व जिलों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तथा सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए)

(ख) **वक्ष (सीना) :—** 81 सेंटीमीटर (सामान्य जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) अविस्तारित
86 सेंटीमीटर (सामान्य जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) पूर्णत: विस्तारित किए जाने पर
79 सेंटीमीटर (मराठा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) अविस्तारित
84 सेंटीमीटर (मराठा, अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति) पूर्णत: विस्तारित किए जाने पर.
76 सेंटीमीटर (गोरखा गढ़वाली तथा कुमाउ) अविस्तारित
81 सेंटीमीटर (मराठा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) पूर्णत: विस्तारित किए जाने पर.

(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में 5 सेमी का निश्चित अंतर होना आवश्यक है तथा इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.)

**नोट :—** (1) शारीरिक अर्हता के संबंध में किसी भी प्रकार का छूट का प्रावधान नहीं होगा.

(2) ऊंचाई एवं सीने की नापतौल में भर्ती समिति का निर्णय अंतिम होगा.

(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए.

(घ) अभ्यर्थी में नाक-नी, फ्लेट-फुट नहीं होना चाहिए. सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए. उपरोक्त कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेंगे तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेंगे. अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए. आंखों की दृष्टि एक आंख की 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 होनी चाहिए. मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए.

(7) **शैक्षणिक अर्हताएं.**— अभ्यर्थी के पास अनुसूची-दो में दर्शायी गई सेवा के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए.

10. **निरर्हता.**— अभ्यर्थी की ओर से अपने चयन के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास चयन समिति द्वारा परीक्षा/चयन में सम्मिलित करने के लिए उसकी निरर्हता मानी जाएगी.

11. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा.**— परीक्षा में प्रवेश के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा. परीक्षा में प्रवेश के संबंध में कोई भी अभ्यर्थी जिसे समिति द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा.

12. **प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती.—**

(1) भर्ती वर्ष में 01 बार अर्थात् जनवरी माह में की जाएगी. भर्ती कार्यक्रम उप पुलिस महानिरीक्षक छ. स. बल/संबंधित इकाई द्वारा विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा. कोई विशिष्ट कानून व्यवस्था की समस्या अथवा अन्य समस्या होने पर पुलिस मुख्यालय भर्ती कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर सकेगा.

(2) विज्ञापन जारी होने की तारीख को पदों की वास्तविक रिक्तियों की संख्या के आधार पर ही विज्ञापन जारी किया जाएगा. इसके लिए माह जनवरी में होने वाली भर्ती के लिए जानकारी 30 अक्टूबर की स्थिति में सभी इकाईयों से माह नवम्बर में बुलाई जाएगी. रिक्तियों के संबंध में सूचना सेनानी कार्यालय/पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला कलेक्ट्रेट, तहसील एवं ब्लाक कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चिपकाए जाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचना आसानी से पहुंच सके.

(3) केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जाएगा.

(4) सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधानों और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उप-नियम (4) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) छत्तीसगढ़ पुलिस एवं सशस्त्र बल के द्वारा महिला आरक्षक के पद को अश्वारोही वृन्द में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा. अतः महिलाओं के लिए उपरोक्त वर्गीकृत आरक्षण तथा समतुल्य पद लागू नहीं होंगे.

13. **समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.—**

(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उक्त स्तर के अनुसार अर्ह नहीं है, फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हों, तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी. सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं. वास्तविक रिक्त पदों के अतिरिक्त आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए 25 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी, जो प्रकाशन दिनांक से आगामी चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने तक या एक वर्ष की अवधि अथवा जो पहले हो, तक ही प्रभावशील होगी. इस अवधि में नए पदों की स्वीकृति पर भर्ती अथवा पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या संवर्ग परिवर्तन, बर्खास्तगी या अन्य कारणों से जो पद रिक्त होंगे, उनकी पूर्ति इस प्रतीक्षा सूची में से की जा सकेगी.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

14. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—**

(1) आरक्षक (बैण्ड) की सीधी भर्ती के लिए अंतिम योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) शारीरिक दक्षता परीक्षा, ट्रेड टेस्ट एवं बोनस अंक में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. नियुक्तियां पदों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए योग्यता सूची से की जाएगी.

(2) एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्म तिथि के आधार पर निश्चित की जाएगी. अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा. यदि जन्मतिथि व प्राप्तांक दोनों समान हों, तो आवेदन पत्र के पंजीयन क्रमांक के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी की गई चयन सूची जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य होगी.

15. **परिवीक्षा अवधि तथा प्रशिक्षण.—**

(1) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्षों की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

(2) प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के संबंध में उसका चरित्र सत्यापन किया जाएगा. चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अनुकूल पाए जाने पर सफल अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची (मेरिट लिस्ट) में आया है, की नियुक्ति की जाएगी तथा दो वर्ष की परिवीक्षा पर भेजा जाएगा. यदि कोई अभ्यर्थी चरित्र सत्यापन प्रपत्र में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है, तो वह सेवा के अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जाएगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है, तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक किया जा सकेगा. चरित्र सत्यापन प्रतिकूल होने पर अभ्यर्थी को सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी और ऐसे चयनित व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा दिया जाएगा.

(3) अभ्यर्थी को संबंधित इकाई में आमद देने के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होगा, जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा.

(4) निर्धारित प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों में नियुक्ति के पश्चात् दिया जाएगा. निर्धारित लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षा में असफल रहने तथा समय-समय पर यथा निर्धारित प्रशिक्षण को पूरा न कर पाने की स्थिति में प्रशिक्षण कालावधि बढ़ाई जा सकेगी या उसे सेवा से मुक्त भी किया जा सकेगा.

16. **निर्वचन.—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

17. **शिथिलीकरण.—** इस नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से, जो उसे उचित तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है.

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

18. **निरसन तथा व्यावृत्ति.—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. एन. उपाध्याय, सचिव.**

## अनुसूची-एक
(नियम 1 एवं नियम 5 देखिये)

| स. क्र. (1) | सेवा का नाम (2) | पद का नाम (3) | वेतनमान (4) | वर्ग (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | छत्तीसगढ़ पुलिस/सशस्त्र कार्यपालक बल | आरक्षक (बैण्ड) | 3050-75-3950-80-4590 | तृतीय वर्ग |

## अनुसूची-दो
(नियम 9 देखिये)

| स. क्र. | सेवा का नाम | पद का नाम | पदों की संख्या | सीधी भर्ती के पदों का प्रतिशत | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | छत्तीसगढ़ पुलिस/सशस्त्र कार्यपालक बल | आरक्षक (बैण्ड) | 54 | 100% | 18 | 28 | 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ में स्थित विद्यालय से उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा (केवल अनु. जनजाति के अभ्यर्थी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे), नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी, जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हों, भी पात्र होंगे.<br><br>(2) अभ्यर्थी को म्यूजिक नोटेशन के आधार पर वाद्ययन्त्र बजाना आना चाहिए.<br><br>(3) सेना या अन्य केन्द्रीय पुलिस बल के कर्मचारियों को, जिन्हें बैण्ड वाद्ययन्त्र के बनाने में दक्षता प्राप्त हो, उन्हें विशेष प्राथमिकता दी जाएगी. | |

## आवेदन पत्र का प्रादर्श

[ आवेदक इसे अपने स्वच्छ/स्पष्ट (सुवाच्य) अक्षरों में स्वयं भरेगा ]

आवेदक यहां स्वयं सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें.

प्रति,

सेनानी,
...................... वाहिनी छ. स. बल,
...............................................

1. पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है : ..............................................................

2. आवेदक का नाम (1) हिन्दी में : ..............................................................
(2) अंग्रेजी में (कैपीटल अक्षरों में) : ..............................................................

3. पिता का नाम : ..............................................................

4. जन्मतिथि अंकों में : ..............................................................
शब्दों में : ..............................................................

......................... को आयु :

| वर्ष | माह | दिन |
|---|---|---|
| | | |

5. विद्यालय के नाम सहित शैक्षणिक योग्यता : ..............................................................

6. पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान पता : ..............................................................
..............................................................
..............................................................

7. स्थायी पता : ..............................................................
..............................................................
..............................................................

8. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन/(छायाप्रति संलग्न करें) :
(क) पंजीयन क्र. ..................................
(ख) पंजीयन का दिनांक ............................
(ग) वैधता (दिनांक) ..............................

9. क्या आप शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अनु. जाति/अनु. जनजाति/अपिव के सदस्य हैं ? (प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) : ..............................................................
..............................................................

10. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें.) : ..............................................................
..............................................................

11. क्या आप होमगार्ड के सैनिक हैं/रह चुके हैं ? (यदि हां, तो होमगार्ड सेनानी द्वारा जारी सेवा की अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न करें) : ..............................................................

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | क्या आपने किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है ? (यदि हां, तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें.) | : | .................................................. |
| 13. | क्या आप शासकीय/अर्द्धशासकीय छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मण्डल के स्थाई/अस्थाई कर्मचारी हैं ? (यदि हां, तो उसका पूरा विवरण लिखें तथा अपने विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें.) | : | ..................................................<br>..................................................<br>.................................................. |
| 14. | क्या आप शासकीय सेवा के लिए मेडिकल बोर्ड/मेडिकल अथार्टी द्वारा अयोग्य ठहराए गए हैं ? | : | ..................................................<br>.................................................. |
| 15. | क्या आप किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए हैं ? क्या आप अभियोजित किए गए हैं ? (यदि हां, तो क्या आप पर जुर्माना हुआ हैं या आप न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं ? यदि ऐसा है, तो प्रकरण क्र./धारा/थाना/जिला आदि के साथ पूर्ण विवरण दर्शाएं) | : | ..................................................<br>..................................................<br>.................................................. |
| 16. | क्या आपका विश्वविद्यालय/विद्यालय/न्यायालय/शैक्षणिक संस्था में कोई मामला लंबित है ? (यदि ऐसा है, तो विवरण दें) | : | ..................................................<br>.................................................. |
| 17. | क्या आप विवाहित/अविवाहित हैं ? यदि विवाहित हों तो, संतानों का विवरण देवें :— | : | .................................................. |
| | 1. संतानों की कुल संख्या | : | .................................................. |
| | 2. अंतिम संतान की जन्मतिथि | : | .................................................. |

## घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और पूर्ण हैं. मैं ऐसी किन्हीं परिस्थितियों से अवगत नहीं हूं, जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो. मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि उपरोक्त में से कोई किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए, तो नियुक्ति प्राधिकारी को मुझे बिना सूचना दिए या बिना विशिष्ट कारण बताए मेरी सेवा समाप्ति का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा.

.......................................

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

नाम — ..................................................

दिनांक — .............................................

**संलग्न :—**

(प्रमाण-पत्रों का विवरण एवं संख्या)

1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
4. ....................................................

## प्रादर्श पत्रक

### छत्तीसगढ़ पुलिस/सशस्त्र बल

आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा : माह .............................. वर्ष ..............................

इकाई ........................................................ परीक्षा प्रवेश एवं प्रदर्शन पत्र/कार्ड.

हाल ही में खिंचाया हुआ बिना रंगीन चश्मे के पासपोर्ट साईज का फोटो. फोटो पर हस्ताक्षर इस प्रकार करें कि आधा हस्ताक्षर फोटो पर और आधार हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर आए.

स. क्रमांक ............................................ रोल नम्बर ........................................................

अभ्यर्थी का नाम ........................................................................................................

माता पिता का नाम ....................................................................................................

वर्ग-श्रेणी ...............................................................................................................

जन्मतिथि ..................................................................................................................

शैक्षणिक अर्हता ...........................................................................................................

रोज. कार्या. का जीवित पंजीयन क्र./दि./स्थान .........................................................................

परीक्षा दिनांक ............................................................ परीक्षास्थल ............................................

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ......................................................................................................

दस्तावेज चेकिंग टीम प्रभारी के हस्ताक्षर .....................................................................................

**नोट :—** शारीरिक परीक्षा के पूर्व यह कार्ड अभ्यर्थी को शारीरिक नापजोख के बाद दिया जाएगा तथा ट्रेड टेस्ट उपरांत उसके हस्ताक्षर के पश्चात् यह वापस ले लिया जाएगा.

## शारीरिक नापजोख का विवरण

ऊंचाई ............................... से. मी. सीना-बिना फुलाए .................................. से. मी.

फुलाने पर ............................................ से. मी.

मापन अधिकारी के हस्ताक्षर ...............................

**परीक्षा का विवरण—**

| स. क्र. | मद का नाम | समय/माप | प्राप्तांक | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 मीटर दौड़ | | | | | |
| 2 | 1500 मीटर दौड़ | | | | | |
| 3 | लम्बी कूद | | | | | |
| 4 | ऊंची कूद | | | | | |
| 5 | गोला फेंक 16 पाउन्ड वजन | | | | | |
| 6 | 25 किलोग्राम वजन रखकर 100 मोटर दौड़ना | | | | | |

1. शारीरिक परीक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर ..........................................................................................................

2. 15 कि. मी. की दौड़ (समय ...................... घण्टा ........................ मिनट ........................) पात्र/अपात्र ................ प्रभारी के हस्ताक्षर ..........................................................................................................

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 2-04/दो-गृह/रापुसे/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 26-07-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. एन. उपाध्याय,** सचिव.

Raipur, the 26th July 2010

NOTIFICATION

No. F 2-04/2-Home/SPS/2008.—In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following Rules relating to the recruitment of Constable (Band) in Chhattisgarh Police Service, namely :—

RULES

1. **Short Title, Extent and Commencement.—**
   (1) These Rules may be called the Chhattisgarh Police/Armed Executive Force Constable (Band) Recruitment Rules, 2010.

   (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

   (3) It shall come into force with effect from the date of its publication in Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires :—
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the superintendent of Police/Commandent CAF;

   (b) "Examination" means a Competitive Examination conducted for the recruitment under Rule 12;

   (c) "First Phase" means Physical Measurement;

   (d) "Second Phase" means Trade Test;

   (e) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

   (f) "Scheduled Castes" means the Scheduled castes specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (g) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribes specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

   (h) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by State Government vide Notification Number F.8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

   (i) "State" means State of Chhattisgarh;

   (j) "Service" means the Chhattisgarh Constable (Band) for Executive Police/Armed Force coming under Class-III Executive;

   (k) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

   (l) "Government" means the Government of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.**—The following persons shall be included in service, namely :—
   (1) Persons, who are possessing the post of Constable originally or temporarily at the time of commencement of these Rules;

   (2) Persons recruited to the service prior to the commencement of these Rules; and

   (3) Persons, recruited to the service in accordance with the Provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**—The classification of the service and number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Schedule-I.

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Selection Committee.**—

(1) The Constitution of Selection Committee for the purpose of direct recruitment made under Clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 7 will be made by Deputy Inspector General of Police C. A. F. as under .—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Commandant of concerned Police Unit of C.A.F. | - | Chairman |
| (2) | An Officer not below the rank of Additional Superintendent of Police/Deputy Commandant. | - | Member |
| (3) | An Officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police/Asstt. Commandant. | - | Member |

Provided that, the above mentioned two members, one member shall be from Chhattisgarh Armed Force and the other member shall be an officer posted in Police Force of any other District. The nomination of the officer of District Police Force will be made in consultation with Range Deputy Inspector General/Inspector General.

Provided further that, at least one member of the Selection Committee shall be compulsorily from Scheduled Castes or Scheduled Tribes. In case of non-availability of officer at the level of Additional Superintendent/Deputy Superintendent of Police in District Police Force, then an officer in the grade of equivalent officer or of Inspector grade from any other unit can be kept.

(2) Sub-Committees.— Sub-Committees may be formed if necessary, by the Chairman of the Committee for Physical measurement and Physical Efficiency Test and for keeping record of measurements, of which some members will be taken from Chhattisgarh Armed Force and some from District Police Force. The members of this Committee shall be responsible for the authenticity for maintaining the records of Exhibition/Valuation and they will put their signature on it. The Selection Committee will be free to re-conduct measurements in the suitable requisite cases.

(3) Provided that the Director General of Police can also constitute a Selection Committee different from above said Selection Committee by a general or special order.

7. **Method of Recruitment :—**

(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules shall be made by the following method, namely :—

(a) by direct recruitment by selection through Competitive Examination conducted by the Selection Committee;

(b) by transfer of persons, who hold in a substantive capacity such post in such Services, as may be specified in this behalf.

(2) Subject to the provisions of these rules, the method or methods for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies, in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the Committee/Government.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigency of the service so require, he may, with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf prescribe.

(4) The applicant should indicate the opted special posts at the time of filling the given format. for the competitive exam during the selection process, being provided by the Government/related Commandant.

(5) Giving wrong information or hiding any factual information in application form by the applicant shall be deemed to be a disqualification. On such act, the candidate shall have no right of appointment or to be continue in service under the Government and consequently, his service shall be terminated immediately by the Appointing Authority without giving any notice.

(6) The Selection Procedure by Competitive Examination under Clause (a) of sub-rule (1) shall be as under, namely :—

**(One)** **Scrutiny of Applications:—** Having scrutinized the applications, the candidates fulfilling all the prescribed qualifications shall be eligible to take part in selection procedure under first phase. The entire procedure will be computerized as far as possible after the receipt of application forms.

**(Two)** **Measure of Physical .neasurements:—** The physical measurements of the candidates, whose applications and the documents after scrutiny have been found correct under the first phase and fulfilling the requisite prescribed qualifications, shall be conducted as per (a) to (d) Column 9 (5) (except the eye vision test and other tests related to eyes) and the admission letter for appearing into next procedure will be given only to those candidates who have been succeeded in physical measurement test, which shall be adopted mandatorily which is enclosed.

**(Three)** **Trade test :—**The eligible candidates who have been found successful in clearing all the fitness parameters will have to appear in the trade test for music notation on various musical instruments, which will be of 100 Marks. To clear the trade test, the candidates of general category will at least have to score 50%, whereas it will be 40% for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

**(Four)** **15KM Run/Walk :—** After Trade test a merit list shall be prepared as caste/class wise to a limit of total five times to the post advertised in which candidates shall have to undergo a test of 15 km run/walk. All candidates having same minimum marks shall be entitled for the test although it may cross limit of five times of the post advertised. In two hours times candidates have to complete 15 km run/walk, only then they shall be considered qualified.

**(Five)** **Bonus Marks :—** Under the heads mentioned below 5 marks are prescribed under each head for specific qualification, but the total bonus marks of specific qualification should not exceed 10 marks, i.e. There will be 10 bonus marks only even if some one is having specific qualification of more than two :—

(a) Computer course degree/diploma/certificate from institute authorized by Government.

(b) Proficiency in sports (National Level) (Only the players winning the competition of national level will be eligible, which are conducted directly by All. India Federation of that concerned sport event.)

(c) N. C. C. "C" Certificate holders.

**(Six)** **Selection Lists :—** There shall be total marks of 200 and the computation of 10 bonus marks will be done separately. The selection list will be prepared separetely as per advertised post on the basis of Physical Proficiency Test-100, Trade test-100 and Bonus marks-10 (As per eligibility only). The list in merit order will be prepared on the basis of sum total of marks obtained in Trade test, physical proficiency test and bonus marks. At first, a list of candidates eligible for unreserved posts from the candidates of all categories, will be prepared. The candidates of reserved category (SC/ST/OBC) will also be included in this list who are entitled for this on the merit basis and fulfill all the qualifications of unreserved

posts. Separate lists will be prepared for advertised reserved post from the remaining candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates for their respective caste category.

After the preparation of this list consolidated reservation for Home Guards and Block-wise reservation for ex-serviceman have to be made effective. If 25 percent home guard candidates are not there in said lists in origin, then the list of all the home guards appeared in the examination will be prepared in merit order and the name will be separated at the rate of 25 percent in merit order and then only those candidates out of these will be established in the lists of unreserved posts and reserved posts mentioned in prior, which are necessary to give advantage of 25 percent reservation. The Home Guards having rendered three years of service only, are eligible for reservation in Home Guard Quota. Under this replacement procedure non-home guard candidates will automatically be discarded from these lists belonging to lower sequence in merit in unreserved and reserved lists. There is 10 percent direct reservation for ex-servicemen, but due to the category wise reservtion of ex-servicemen, their merit list will be prepared caste-category wise and the calculation of number of 10 percent will also be caste category wise. The replacement procedure will also be for that category in which 10 percent number is not fulfilled. In case of non-availability of eligible candidates in Home Guard and Ex-serviceman category no post will be carry forwarded for the next year but these posts will be filled by other available candidates.

(Seven) **Approval of Selection List :**—The selection list having prepared immediately after the examination, will be sent to Range Deputy Inspector General of Police/CAF for approval along with entire requisite records as per schedule prescribed by Police Head Quaters. The Range Deputy Inspector General of Police/CAF will issue approval order after examining the list at prima facie first instant but as per schedule prescribed by Police Head Quarters in any case while approving the selection list the Range Deputy Inspector General of Police/CAF will examine that—

(a) Is recruitment done as per rules ?

(b) Has rules regarding reservation in the recruitment been followed ?

(c) Has any serious irregularity or any complaint been observed during the recruitment, which appears to be correct prima facie ?

(d) Is these any other self explanatory omission or error or carelessness being observed ?

If the Range DIG of Police/CAF finds the aforesaid errors and dosen't wants to change the selected list, then this list along with all the testimonials and a clarification stating the reason of not changing the list should be forwarded to the I.G. of Police/CAF, who will have the authority to take the final decision according to his own justifications and thoughts. The selection orders copy will also be enlisted in the police headquarters. The selection will be cancelled due to any mathematical error, until and unless if is clear that, due to this there will be an adverse effect on the selection of the candidate. Selection can not be cancelled on the basis of vague or disproved complains or simple mass discussions.

The selection list will either be approved fully or it will be cancelled in total. Range Deputy Inspector General of Police CAF can not give revaluation or Re-examination order. Range Deputy Inspector General of Police/CAF may ask for all requisite records and rough works for scrutinization prior to approval.

8. **Appointment to the Service :—**

(1) After the commencement of these rules all the appointments in service will be made by Appointing Authority and any appointment shall be made after selecting any procedure of the recruitment as specified in Rule-6, otherwise not. The appointment order will be issued in seniority under selection list. The character verification and medical examination of the candidates will be conducted/completed prior to the issue of appointment order. An appointment order to the candi-

dates will be issued only after confirming that there are no adverse remarks in character verification and finding fully fit as per prescribed measurements and he will be ordered to report to the concerning units.

(2) The division of the posts separately should be made clearly in the advertisement as per recruitment reservation roster for direct selection/admission, complying with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 has to be obeyed along with state level selection reservation roster. Apart from this the directions issued from time to time by General Administration Department of Government of Chhattisgarh shall also be complied.

(a) The orders regarding Government service for ex-serviceman will be complied.

(b) 25 percent reservation for volunteers Home Guards has been implemented under memorandum Sl. No. F-13-9/Two-Home/2005, dated 16-01-2007 of Home Police Department, Ministry of Chhattisgarh Government, which shall be applicable.

(c) It should be bear in mind that general caste does not fall under any category. This is a category of open competition and all the candidates are entitled to get position in this on the basis of merit even though any reservation does exist for their caste category.

9. **Conditions of Eligibility of candidates for Direct Recruitment :—** In order to be eligible for competing in the examination a candidate shall have to satisfy the following conditions, namely :—

(1) The applicant must be bonafide resident of Chhattisgarh State, also he should be continued/current registered in any Employment office in Chhattisgarh State.

(2) Candidate will not be eligible for the appointment in service on post who has two living children and out of which one has born on 26 January 2001 or thereafter.

(3) The candidate should have good conduct and good past record.

(4) Only male applicants will be eligible for direct recruitment in the posts of Constable (Band).

(5) **Age—**

(a) He must have attained the age as specified in column (6) of Schedule-II and not attanined the age specified in column (7) of the said schedule, on the first day of January next following the date of commencement of the examination.

(b) If the candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes category than the maximum of 5 years shall be relaxed in age.

(c) The upper age limit may also be relaxed for those candidates who are employees of Chhattisgarh State or had been the employee of Chhattisgarh Government but they have not deemed unfit to Government service, to that extent and under following conditions :—

(i) A candidate, who is a permanent government servant, should not have completed the age of 36 years;

(ii) A candidate, who is possessing a temporary post and applying for any other post, should not be more than 36 years of age. This relaxation is also permissible to the employees drawing their pay from contingency fund, employees in charge and the emplyees working under Project Implementation Committee;

(iii) A candidate, who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously renderd by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation:—**The word "Discarded Government Servant" means—such person who has rendered a minimum of 6 months period continually as temporary government servant of this state or any organizational unit and has been relieved from service, due to curtailment of number of

employees a maximum of three years prior from the date of applying elsewhare for the appointment in government service or registering his name in employment exchange.

(d) A candidates, who is an ex-servicemen, will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation :—** The term "Ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service :—

(i) Ex-servicemen, released under mustering out concessions,

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on—
a. Completion of Short Term engagement,
b. Fulfilling the conditions of enrollment,

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officer),

(v) Officers, discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies,

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service.

(vii) Ex-servicemen, discharged on the grounds that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen, who are medically boarded out on account of gun-shot wounds, etc.

(e) A maximum of 2 years shall also be relaxed to Green Card Holder candidates under Family Welfare Programme.

(f) A maximum of five years age limit shall be relaxed generally to upper class companion couples reqarded under Inter-Caste marriage incentive Programme of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department.

(g) The provision of circulars issued from time to time by General Administration Department under Sport Policy in regard to relaxation in age shall be followed.

(h) Age limit shall be relaxed to a maximum of 36 years for the candidates, who are employees of Chhattisgarh State Corporation/Board. [The general upper age limit shall also be relaxable upto 5 (five) years in respect of Saheed Rajeev Pandey Award, Gundadhur Samman and Maharaja Praveer Chand Bhanjdeo Samman and National Youth Award Winner Young Candidate].

(i) Relaxation in age limit will be made for a maximum of 8 years for the duration of service rendered by volunteer Home Guards and non-commissioned officers of Home-Guard but their age should not exceed by 36 years in any case. The Volunteer Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards and non-commissioned officers of Home Guard should be given relaxation in upper age limit for the appointment in government service in equivalent to total years of duration of service rendered by them in Home Guard, that means, the Home Guard/Non-Commissioned officer who has rendered one year Home Guard

service will be given a maximum of one year age relaxation, who has rendered two year of service shall be given a total of two years age relaxation and so on as per the service period rendered by them.

(j) The circular issued from time to time by the department regarding relaxation in age shall also be applicable.

**Note :—**

(1) Candidates who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits will be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(3) In the cases of Government/Semi Government employees or ex-servicemen, serving or ex-employees dismissed from service on disciplinary ground or disqualified on medical ground will not be eligible for this service.

**Explanation :—** The advantage of relaxation in upper age limit will not be applicable to other volunteers or employees or teaching staff or Panchayat staff working on contract or on honorarium basis of government.

(6) **Physical Qualification :—** The candidate must posses the following minimum physical qualification :—

(a) Height —
168 Cm (General Caste and O.B.C.)
165 Cm (Maratha, SC and ST)
158 Cm (Gorkha, Garhwali & Kumau)
153 Cm or more (For the male candidates of Scheduled Tribe category of south Bastar Dantewada, Narayanpur, Bijapur, Bastar, North Baster Kanker, Koriya, Surguja and Jashpur revenue district)
158 Cm or more (For the male candidates of Scheduled Tribe Category of remaining revenue districts and for the female candidates of all the categories)

(b) Chest —
81 Cm (Gen. Caste and O.B.C.) without expansion
86 Cm (Gen. Caste and O.B.C.) with expansion
79 Cm (Maratha, SC and ST) without expansion
84 Cm (Maratha, SC and ST) with expansion
76 Cm (Gorkha, Garhwali and Kumau) without expansion
81 Cm (Maratha, SC and ST) with expansion

(there should be exact 5 cm. difference between expansion and without expansion of chest of the candidate and no relaxation will be given in this context)

**Note :—**

(1) There is no provision for relaxation with regards to physical measurements.

(2) The decision of recruitment committee will be final for measurement of height and chest.

(c) The candidate should not be disabled physically.

(d) The candidate should not have flat foot, knock-knee. All the candidates should be medically fit. The competent Authority themselves will take decision of unfit candidates due to above said causes and may take advise from District Chief Medical Officer in case of need. Candidate should not have any disease related to eyes. The eye vision power 6/9 of one eye and 6/12 of another eye. The candidate should be able to distinguish between major colours.

(7) **Educational Qualifications.—** The candidate should possess educational qualifications requisite for the service mentioned in Schedule-II.

10. **Disqualification.—** Any attempt made by candidate by any means to get help for his selection may lead him to his disqualification for appearing in the examination/selection by selection committee.

11. **Decision of Committee about eligibility of candidate shall be final.—** The decision of the committee about eligibility or ineligibility of any candidate in relation to admission to examination shall be final. Any candidate who has not been issued with admission certificate, with regard to admission into examination by the committee, will not be eligible for admission into examination.

12. **Direct Recruitment through Competitive examination.—**

(1) The recruitment shall be carried out once in a year i. e. in the month of January. Recruitment programme shall be propragated through the medium of advertisement by DIG CAF/Concerned unit. In case of any specific law-n-order problem or any other problems, Police Headquarters can make necessary amendment in the recruitment programme.

(2) The advertisement shall be issued on the basis of number of actual vacancies of the posts on the date of issuing adverstisement. The information for the recruitment to be held in the month of January will be called in the month of November as per the position as on 30 October from all the units. Arrangements should be made to affix the information regarding vacancies on the Notice Board of Commandant Office/S. P. Office, District Collectorate, Tehsil and Block Office, so that the information can reach easily to distant rural areas.

(3) The actual journey fare shall be paid only to the candidates of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes categories as per the order of the Government.

(4) Out of available vacancies for direct recruitment, posts shall be reserved for candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the Provisions of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backsward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and the orders or instructions issued by the state Government from time to time.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backsward Classes as the case may be under sub-rule (4).

(6) Posts of lady Constable is not permitted in the horse rider troop by the Chhattisgarh Police and Armed Force. Hence the above categorized reservation for ladies and the equivalent post is not applicable for them.

13. **List of Candidates, as recommended by Committee :—**

(1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards, as may be determined by the Selection Committee and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such Standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services, (General Conditions of Service) Rules-1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list. Apart from the actual vacant posts, a waiting list of 25 percent posts will also be prepared by complying the reservation rules, which shall be effective from the date of publication till the commencement of next selection procedure or for one year whichever is earlier. During this period, the recruitment on the sanction of new posts or the posts fallen vacant due to promotion, retirement, death or cadre change, termination or due to other reasons, will be fulfilled from this waiting list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

14. **Appointment in Service from Selection List.—**

(1) Final merit list for direct recruitment of Constable (Band) Shall be prepared on the basis of marks obtained in physical Proficiency Test, Trade test and Bonus Marks. Appointments shall be made from the merit list subject to the availability of posts.

(2) The mutual seniority of the candidates obtaining equal marks in total shall be determined on the basis of their date of birth. The candidates of higher age shall be considered as senior. If both, the date of birth and the obtained marks, are same then the seniority shall be determined on the basis of registration number of the application.

(3) The Selection List issued by the Appointing Authority shall remain valid for a period of one year from the date of its issue.

15. **Probation Period and Training.—**

(1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) Character verification should be done in respect of each selected candidate. On being finding the character verification report favourable, the successful candidates, whose names are included in the merit list, shall be appointed and sent on probation of two years. If any candidate hides any factual information in character verification form or give wrong information then he will be declared as unfit for the service and he will not be granted appointment and if this fact is traced out after the appointment in service then he may be removed from the service without being given any other notice to him. The candidate will not be eligible to be continue in service if his character verification is found adverse and the name of such selected person will be deleted from the selection list.

(2) Before reporting to the unit concerned the candidate has to undergo medical examination, in which it is mandatory to be fit fully.

(3) The prescribed training will be given in specified training institutes and in other units after the appointment. The training duration may be increased or he may be discharged from the service in case of being unsuccessful in prescribed written, oral and practical examination and in case of inability of fulfilling the training as prescribed from time to time.

16. **Interpretation.—** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision there on shall be final.

17. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable;

Provided that the case shall not be dealt with in any manner, less favorable to him than that provided in these rules.

18. **Repeal and Saving.—** All rules, corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, Secretary.

## SCHEDULE-I
(See Rule 1 and Rule 5)

| S. No. | Name of Service | Name of the Post | Pay-Scale | Category |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Chhattisgarh Police/Armed Executive Force | Constable (Band) | 3050-75-3950-80-4590 | Class-III |

SCHEDULE-II
(See Rule 9)

| Sl. No. | Name of the Service | Name of the Posts | No. of Posts | Percentage of Direct Recruitment posts | Minimum Age limit | Maximum Age limit | Requisite Educational Qualification | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Chhattisgarh Police/Armed Executive | Constable (Band) | 54 | 100% | 18 | 28 | Having passed Xth class or Higher Secondary or equivalent examination under(10+2) System from School located in Chhattisgarh. (Only ST Candidates having passed 8th Standard will also be eligible). For Candidates of all categories belonging to families of Naxal victims and families residing in relief camps in Naxal affected areas, who have passed Vth Standard shall also be eligible.<br><br>(2) The candidate should be able play the musical instruments on the basis of its music notation.<br><br>(3) The employees of army or other central police force who are expertised in playing the musical instrument of the band will be given more preference. | |

SPECIMEN OF APPLICATION

(This will be filled by candidate himself in legible letters)

Paste here recent Passport size photo with self attested.

To.

The Commandant,

..................... BN. C.A.F.

.........................................

1. Name of the post applied for : ..........................................................

2. Name of the candidate (1) In Hindi : ..........................................................

(2) In English (capital letters) : ..........................................................

3. Father's Name : ..........................................................

4. Date of Birth In figure : ..........................................................

In words : ..........................................................

Age as on- :

| Year | Month | Day |
|---|---|---|
| | | |

5. Educational Qualification with name of school : ..........................................................

..........................................................

6. Present Address for communication : ..........................................................

..........................................................

..........................................................

7. Permanent Address : ..........................................................

..........................................................

..........................................................

8. Live Registration of Employment Exchange (Enclose photo copy)

(a) Registration No. ..........................................

(b) Date of Registration ..........................................

(c) Valid up to (Date) ..........................................

9. Are you the member of SC/ST/OBC category, as recognized by Government ? (Enclose Attested photo copy of Certificate) : ..........................................................

10. Are you Ex-serviceman ? (If yes, then enclose the photo copy of certificate issued by Competent Authority) : ..........................................................

| | | |
|---|---|---|
| 11. | Are you/have you been Home-guard (If yes, then enclose the certificate of Service perioed issued by Home-Guard Commandant). | : .................................................. |
| 12. | Have you represented your state in any recognized National Game Competition? (If yes, then enclose the certificate) | : .................................................. |
| 13. | Are you a permanent/temporary employee of Government/Semi-government/C.G. State/ Corporation/Board ? ( If yes, then give details and enclose NOC of your Head of the Office) | : .................................................. |
| 14. | Have you ever been disqualified by Medical Board/Medical Authority for government service ? | : .................................................. |
| 15. | Have you ever been arrested in any criminal case? Have you been prosecuted? (If yes, then have you been fined or you have been convicted by court ? If so, give full details, along with case Sl. No., Section No., Thana, District etc.) | : .................................................. |
| 16. | Is there your any case pending in the Court/ University/College/Educational Institute ? (If so, give details) | : .................................................. |
| 17. | Are you married/unmarried ? If married, then furnish the details of Child/children- | : .................................................. |
| | 1- Total number of children | : .................................................. |
| | 2- Date of birth of last child | : .................................................. |

DECLARATION

I hereby declare that the above said information are true and complete to the best of my knowledge and believe. I am not aware of any such circumstances with may diminish my suitability for getting employment under government. I do agree that if any of the above said is found false or incomplete with regard to any basic facts then the appointing authority shall have right to terminate my service without giving any notice or without mentioning any specific reason and his decision will be bound to me.

..................................................

**(Signature of the Candidate)**

Enclosures :—

(Details & Number of Certificate)

1- ..................................................................

2- ..................................................................

3- ..................................................................

4- ..................................................................

Name - ......................................................

Date - ......................................................

**SPECIMEN CARD**

CHHATTISGARH POLICE/ARMED FORCE

Constable Cadre Selection Examination : Month ------------------------------ Year ----------------------------------

Unit ------------------------------------------------------------- Examination Admission and Exhibition letter/Card.

Sl. No. ------------------------------ Roll No. ------------------------------------------------

Name of the Candidate ------------------------------------------------------------------------

Name of the Mother/Father ------------------------------------------------------------------

Category Class -------------------------------------------------------------------------------

Date of Birth -------------------------------------------------------------------------------

Recent passport size photo without wearing any colour spectacle. Sign on photo in such a way that half of the signature is on photo and the other half is on application.

Educational Qualification ----------------------------------------------------------------------------------------------

Live Employment Registration No./Date/Place -------------------------------------------------------------------------

Date of Examination ----------------------------------- Place of Examination ----------------------------------------------

Signature of the Candidate ---------------------------------------------------------------------------------------------

Signature of documents Secrutinizing Team Incharge ------------------------------------------------------------------

**Note :-** This card will be given to the candidate after the Physical Measurement Prior to Physical Examination and it will be taken back after their signature on it after Trade Test.

## DETAILS OF PHYSICAL MEASUREMENTS

Height ---------------------- CMs.

Chest-Without Expansion------------------------- CMs.

With Expansion ------------------------------------ CMs.

Signature of Measuring Officer --------------------------------

**Details of Examination—**

| S. No. | Name of the Item | Time/ Measurement | Marks Obtained | Passed/ Failed | Signature |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 Meter Race | | | | |
| 2. | 1500 Meter Race | | | | |
| 3. | Long Jump | | | | |
| 4. | High Jump | | | | |
| 5. | Short put 16 pound weight | | | | |
| 6. | 100 meter race with careering 25kg weight. | | | | |

1- Signature of Physical Examination In-charge ----------------------------------------------------------------

2- 15 Kms Race : (Time- .................. Hour- ................. Minuts ................) Qualified/Disqualified .......................

Signature of the In-charge -----------------------------------------------------------------------------------

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.